

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 41/2018 (223 आरटीए) देरामराम वगै. बनाम भंवरराम  
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00056)

- 1 देरामराम पुत्र श्री गेनाराम,
- 2 पांचाराम पुत्र श्री गेनाराम,
- 3 जेठाराम पुत्र श्री गेनाराम,
- 4 बक्साराम पुत्र श्री गेनाराम,
- 5 मोहनराम पुत्र श्री गेनाराम,
- 6 करनाराम पुत्र श्री गेनाराम सभी जातियान जाट निवासीगण कजनाउ खुर्द,  
तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।

..... अपीलांट्स

बनाम

- 1 भंवरराम पुत्र श्री जोधाराम,
- 2 हजारीराम पुत्र श्री जोधाराम,
- 3 मदनराम पुत्र श्री जोधाराम,
- 4 बागाराम पुत्र श्री जोधाराम सभी जातियान जाट, निवासीगण कजनाउ खुर्द,  
तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
- 5 राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार बावड़ी जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी  
दिनांक 22.03.2018 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 19/2015

उपस्थित :

- 1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री बेनाराम पटेल।
- 2 रेस्पो. सं. 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री लादूराम पूनिया।
- 3 रेस्पो. सं. 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 10.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी के राजस्व वाद सं. 19/2015 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.03.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी के समक्ष धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. 1 से 4/वादीगण ने एक दावा बाबत बंटवारा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अपीलांट/प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर जाहिर किया कि ग्राम कजनाउ खुर्द तहसील बावड़ी जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी की संयुक्त खातेदारी की कब्जाशुदा जमीन खसरा नं. 213 रकबा 18 बीघा 7 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय आई हुई है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह भी उल्लेख किया कि विवादग्रस्त जमीन में वादीगण का हिस्सा 2/3 है एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/3 है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह भी कथन किया कि प्रतिवादीगण को कई बार कहने के बावजूद भी बंटवारा नहीं कर रहे हैं ऐसी स्थिति में वाद कारण पैदा हुआ है। वादीगण का वाद प्रतिवादीगण को यानी अपीलांट को बगैर सुने बाले-बाले एकपक्षीय आदेश करवाकर बिना कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य कराए निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करवा दिया है जबकि अपीलांट को सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया है जबकि वास्तव में अपीलांट का विवादित जमीन पर 2/3 हिस्सा है व 1/3 हिस्सा वादीगण/रेस्पोडेंट्स का है परंतु रेस्पोडेंट्स ने बिना किसी आदेश के रजिस्टर्ड एडी गलत पते पर तामील करवा कर निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित करवाई है। तथा प्राथमिक डिक्री के बाद अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री भी पारित कर दी गई है। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 22.03.2018 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पो. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
4. अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री बेनाराम पटेल ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री जैर अपील बिल्कुल गलत, निराधार, विधि के विपरीत, पत्रावली पर आए साक्ष्य के विपरीत पारित की है। प्रतिवादी अपीलांट के सम्मन जरिए रजिस्टर्ड एडी से भेजने का आदेश दिनांक 04.01.2016 को पारित किया था उस आदेशिका पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं ऐसा आदेश बिना हस्ताक्षर के कोई आदेश ही नहीं माना जा सकता है। रेस्पो./अपीलांट के सम्मन तामील रजिस्टर्ड एडी प्राप्त ही नहीं हुए न ही कोई रजिस्टर्ड डाक अपीलांट के पते पर आई मात्र पोस्टमैन या विधि विरुद्ध तरीके से जो तामील बतला कर एक पक्षीय आदेश पारित करवाया

है काबिल खारिज है। पत्रावली सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी के न्यायालय में अंतरित करने का आदेश दिया था तत्पश्चात पत्रावली विधिवत रूप से दर्ज होकर पक्षकारों को सूचित करने का कोई आदेश ही पारित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पों./वादीगण का वाद बिना जबाब, बिना तनकीयात, बिना साक्ष्य सबूत वादीगण का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिया। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 22.03.2018 को ही मंगवाया जाकर 22.03.2018 को ही निर्णय व अंतिम डिक्री पारित कर दी है। जिसमें राजस्व मण्डल के बंटवारे संबंधी नियम 18 से 21 की भी पालना नहीं की गई है। अतः अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री खारिज कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया। अपनी बहस के समर्थन में अपीलांत के अधिवक्ता ने आर.आर.डी. फरवरी 2006 पेज 42, आर.आर.डी. 14.06.2009 पेज 378, आर.आर.डी. 14.10.2012 पेज 706 पेश किया।

- 5 रेस्पों. सं. 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री लादूराम पूनिया ने बहस में कथन किया कि अपीलांत को पर्याप्त रूप से तामील कराई जा चुकी है। अपीलांत को प्रकरण के बारे में पूर्ण जानकारी होने के कारण आदेश 9 नियम 13 के परंतुक के अनुसार जानकारी होने पर तामील पर्याप्त मानी जावेगी। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के सैक्शन 140 के अनुसार जमाबंदी में अंकित हिस्से के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हैं। अपीलांत द्वारा खाता विभाजन में अड़ंगा लगाने के लिए आधारहीन अपील पेश कर दी है जिसका उन्हें किसी प्रकार का वैधानिक अधिकार नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बावड़ी से विभाजन प्रस्ताव मंगाए तथा उन विभाजन प्रस्ताव को उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है। एक ही दिन में बंटवारा प्रस्ताव मंगाने व उसी दिन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित करने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं हैं। अपीलांत के अधिवक्ता ने जो नजीरें पेश की है वे इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं क्योंकि नजीरों में वर्णित प्रकरणों के तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से भिन्न हैं। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।
- 6 रेस्पों. सं. 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राज्य सरकार का हित निहित नहीं हैं अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।
- 7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।



14/10/18  
राजस्थान न्यायिक आयोग  
जयपुर

- 8 इस अपील में अपीलांत का मुख्य बिंदु यह है कि अपीलांत को तामील नहीं हुई है व एक पक्षीय डिक्री पारित की गई है। दूसरा बिंदु यह है कि विभाजन प्रस्ताव के समय भी अपीलांत को सूचित नहीं किया है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने में नियम 18 से 21 पालना नहीं की गई है।
- 9 अपीलांत को प्रोपर तामील हुई है या नहीं एवं पारित निर्णय एक पक्षीय बगैर सुने पारित किया है या नहीं की पुष्टि के लिए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न नोटिस व रजिस्टर्ड डाक की रसीद के अनुसार अपीलांत को दिनांक 06.01.2016 को सम्मन जारी किए गए। तथा दिनांक 05.02.2016 को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। अपीलांत का तर्क है कि दिनांक 04.01.2016 की आदेशिका पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं इसलिए यह सम्मन गलत जारी हुए हैं। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो सम्मन जारी होने के बाद अपीलांत को रजिस्टर्ड डाक से उनके सही पते पर सम्मन भेजे गए हैं व एक माह की अवधि के बाद नियत तारीख 05.02.2016 को उपस्थित नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही सही की गई है। दिनांक 04.01.2016 की आदेशिका पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं लेकिन दिनांक 05.02.2016 की आदेशिका में 04.01.2016 की कार्यवाही की पुष्टि की गई है व 05.02.2016 की आदेशिका पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित हैं अतः अपीलांत की आपत्ति केवल तकनीकी होने से स्वीकार योग्य नहीं हैं। अतः इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट की बहस से हम पूर्णतया सहमत हैं कि यदि अपीलांत की जानकारी में हैं तो तामील पर्याप्त मानी जावेगी। ऐसी स्थिति में पारित प्राथमिक डिक्री को बिना अवसर दिए या बिना सुनवाई के एक पक्षीय नहीं माना जा सकता।
- दूसरा बिंदु यह है कि बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने में नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। इस संबंध में हमने मौका रिपोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया। विभाजन प्रस्ताव की मौका रिपोर्ट पटवारी व गिरदावर ने तैयार की है उस पर तहसीलदार के हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर नहीं हैं। अतः यह विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा अथवा तहसीलदार के निर्देशन में तैयार होना नहीं पाया जाता है। इसकी पुष्टि भू-अभिलेख निरीक्षक नादिया खुर्द के पत्र दिनांक 22.03.2018 पर तहसीलदार के पृष्ठांकन क्रमांक भूअभि./2018/904 दिनांक 22.03.2018 पर मूल बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित करने इसकी पुष्टि होती है। राजस्व मण्डल द्वारा प्रसारित बंटवारा संबंधी नियमों एवं विभिन्न निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार के द्वारा मौके पर जाकर किया जाना आवश्यक है। विभाजन प्रस्ताव के समय उभयपक्षकारान



राजस्व जपोष प्राधिकारी  
दिल्ली नगर

अपील सं. 41/2018 (223 आरटीए) देरामराम वगै. बनाम भंवरराम

को मौके पर बुलाए जाने के लिए सूचना किस प्रकार की गई इसका हवाला भी मौका रिपोर्ट में अंकित नहीं है। जबकि राजस्व मण्डल के विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि प्राथमिक डिक्री के बाद विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय सभी सहखातेदारों को सूचित करना एवं विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः इस प्रकरण में राजस्व मण्डल के बंटवारा संबंधी नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। रेस्पों. के अधिवक्ता का यह कथन कि बंटवारा प्रस्ताव पर स्वयं उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर हैं एवं उन्होंने इसे स्वीकृत किया है स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कराने का कोई उल्लेख नहीं है बल्कि अंतिम डिक्री जारी करने के कारण विभाजन प्रस्ताव पर स्वीकृत अंकित कर हस्ताक्षर किए हुए ज्ञात होते हैं। अतः अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री खारिज किए जाने योग्य हैं एवं अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण रिमाण्ड योग्य पाया जाता है।

- 10 अतः अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.03.2018 निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किए जाते हैं कि बंटवारा प्रस्ताव राजस्व मण्डल द्वारा निर्धारित बंटवारा संबंधी नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए स्वयं तहसीलदार से मंगाए जावें एवं उभयपक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर पुनः निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की जावे।



*Devamp.*  
10/8/18  
रा. (दाताराम) प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

- 11 निर्णय आज दिनांक 10.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*Devamp.*  
10/8/18  
रा. (दाताराम) प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर